न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–55/2006–07 अन्तर्गत धारा–331(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री कर्म सिंह आदि
बनाम
श्री भोपाल आदि

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण : श्री ललित कुमार उपाध्याय।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत
मौजा बिशनपुर झरडा, परगना ज्वालापुर,
तहसील व जिला हरिद्वार

आदेश

यह द्वितीय अपील अपीलार्थी ने विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या– 47/2000–01 भोपाल आदि बनाम कर्म सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 31–05–2007 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि बावत जगता पुत्र कुन्दन निवासी बिशनपुर झरड़ा, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर–2 रकबा 3–14–0, खसरा नम्बर–3/1 रकबा 0–5–0, खसरा नम्बर 17 रकबा 3–18–0, खसरा नम्बर–23 रकबा 1–8–0, खसरा नम्बर–24 रकबा 2–3–0, खसरा नम्बर–32 रकबा 0–15–0 स्थित ग्राम बिशनपुर झरड़ा व खसरा नम्बर 173 रकबा 6–2–0, खसरा नम्बर 177 रकबा 4–13–0 स्थित ग्राम बिशनुपर झरडा को रू0 6,000–00 के बदले श्रीमती मनोहरी विधवा कुन्दन बहैसियत माता बलीराम, भोपाल पुत्रगण कुन्दन व श्रीमती ब्रहमी विधवा बिशनलाल बहैसियत माता मेघराज, राजकुमार नाबालिग पुत्रगण किशनलाल व बालूराम, भमूला पुत्र चन्दन व शंकर पुत्र जहादिया से कर्मचन्द, पूरणचन्द, सत्यप्रकाश, अमरचन्द पुत्रगण शंकर ने दिनांक 28–09–68 बजरिये बैनामा खरीदा था, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में केतागणों का नाम दर्ज हो गया। जगता पुत्र कुन्दन व मेघराज पुत्र किशनलाल ने बालिग होने पर उक्त बयनामा दिनांक 28–09–68 को मनसूख (निरस्त) करने बावत एक वाद व्यवहार न्यायालय में इस आशय का दायर किया कि उनके नाबालिग रहते हुए उनकी माता द्वारा सक्षम न्यायालय की अनुमति बगैर उनके हिस्से की जमीन बेच दी गई है। व्यवहार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14–05–79 से सुनवाई की तिथि को प्रतिवादीगणों के उपस्थित न होने की स्थिति में एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करते हुए वाद डिक्री किया गया तथा बयनामा दिनांक 28–09–68 को मनसूख(निरस्त) किया गया। उक्त

आदेश दिनांक 14–05–79 से क्षुब्ध होकर कर्म सिंह एवं अन्य केतागणों द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151, 152, 153 सिविल प्रकिया संहिता मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि जगत सिंह पुत्र कुन्दन व मेघराज पुत्र किशनलाल के नाबालिग रहते उनकी माता द्वारा जो उनके हिस्से की 1/6 भाग भूमि विकय की गई है को ही बयनामा दिनांक 28–09–68 से निरस्त किया जाय तथा शेष बयनामा को यथावत रखा जाय, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–01–93 से खण्डित किया गया।

आदेश दिनांक 29–01–93 के विरूद्व कर्म सिंह आदि केतागण द्वारा अपर जिला जज, हरिद्वार के न्यायालय में निगरानी योजित की गई जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09–01–95 से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व कर्म सिंह आदि केतागणों ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में सिविल रिट पिटीशन संख्या–5764/1995 दायर की जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण बयनामा दिनांक 28–09–68 से मात्र जगता पुत्र कुन्दन व मेघराज पुत्र किशनलाल के हिस्से की 1/6 भाग भूमि के बयनामा को ही मनसूख मानते हुए आदेश दिनांक 09–02–96 पारित किया तथा शेष भाग को प्रभावी रखा गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान व्यवहार न्यायालय द्वारा बयनामा दिनांक 28–09–68 को मनसूख किये जाने बावत पारित आदेश दिनांक 14–05–79 के आधार पर जगता पुत्र कुन्दन निवासी उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद दायर किया गया जो आदेश दिनांक 25–07–83 से डिकी किया गया। इस डिकी के आधार पर पक्षकार बलीराम, भोपाल, जगता पुत्र कुन्दन तथा भमूला, बाबूराम पुत्र चन्दन, मेघराज व राजकुमार पुत्र किशनलाल का नाम अन्य सहखातेदार के साथ राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया। इस आदेश दिनांक 25–07–83 के विरूद्व विद्वान अपर आयुक्त(प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष प्रथम अपील योजित हुई और अन्ततः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–02–96 के अनुसार विचारण न्यायालय की डिकी दिनांक 25–07–83 को निरस्त कर दिया और प्रकरण विचारण न्यायालय को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनः निर्णीत करने के लिए निर्णयादेश दिनांक 03–06–99 से प्रतिप्रेषित कर दिया। इस प्रतिप्रेषण आदेश के कम में प्रश्नगत भूमि विकय पत्र दिनांक 28–09–68 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 5/6 भाग को अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अन्य पक्ष द्वारा ठोस तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के आधार पर अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 30–06–99 को स्वीकार कर लिया और वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का 5/6 भाग तय करते हुए कुर्रे बनाए जाने के आदेश दिनांक 22–12–2000 पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर उत्तरदातागण ने विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष प्रथम अपील योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 31–05–2007 से स्वीकार करते हुए निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में

प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार को प्रतिप्रेषित किया गया। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील योजित की है। इसी बीच जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4क(1) के अन्तर्गत ग्राम बिशनपुर झरडा में चकबन्दी प्रकियायें आरम्भ करने की अधिसूचना दिनांक 08 मई, 2003 जारी की गई जो अभी तक भी गतिमान है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अवर न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया।

बहस में अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुणों पर विस्तार से ध्यान आकृष्ट किया एवं प्रकरण का विस्तृत इतिहास रेखांकित किया। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान आयुक्त का प्रतिप्रेषण आदेश अवांछनीय है एवं चकबन्दी की अधिसूचना के उपरान्त के आदेश उपशमित होंगे न कि उसके पूर्व के आदेश अर्थात उनके अनुसार आक्षेपित आदेश सम्बंधी प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील की कार्यवाहियां ही उपशमित होंगी एवं मूल वाद में पारित निर्णय/आज्ञप्ति उपशमित नहीं होगें। इस सम्बन्ध में उन्होंने मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रामबली राय बनाम तृतीय अपर जिला जज आदि 2010(111) आर0डी0 324, राम नवल बनाम राजस्व परिषद, उ0प्र0 व अन्य 2006(100) आर0डी0 818 एवं उदयभान सिंह उर्फ दीवान सिंह व अन्य प्रति राजस्व परिषद व अन्य 1974 आर0डी0 (एफ0बी0) 107 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों का संदर्भ प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्तागण के अनुसार सम्बन्धित गांव में दिनांक 08 मई, 2003 को चकबन्दी प्रकियाओं को कियान्वित किये जाने हेतु अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। तद्नुसार धारा–5(2) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत इस वर्तमान अपील, प्रथम अपील एवं वाद की कार्यवाहियाँ उपशमित हो जाती हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या–45/2009–10 मोहकम सिंह बनाम सरकार में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त दिनांक 23–04–2010, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आर0डी0 2001 पृष्ठ 422 से 424 बेकारू बनाम शिवमूर्ति व अन्य, आर0डी0 1967 पृष्ठ 261 से 262 कामता सिंह व अन्य बनाम जी0पी0 दुबे व अन्य एवं आर0एल0टी0 2000 पृष्ठ 229 कुसुम देवी बनाम बुद्व सेन में दी गई न्यायिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है।

सर्वप्रथम जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–5(2)ए के प्राविधानों पर दृष्टपात किया जाना आवश्यक है। इन प्राविधानों के अनुसार धारा–4(2) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों की घोषणा विषयक वाद एवं कार्यवाही उपशमित मानी जाएगी एवं धारा–2(बी) के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को अपने ऐसे अधिकारों को सक्षम चकबन्दी प्राधिकारियों समक्ष अधिनियम के प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार ऐसे अधिकार व हितों की चाराजोही (agitate) करने का अधिकार होगा। उक्त विधिक प्राविधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–4(2) की

अधिसूचना जारी होने के उपरान्त कोई भी लम्बित वाद कार्यवाही जो कि चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहरित हो सकते हैं अथवा होने चाहिए चाहे वे प्रथम दृष्टान्त का हो या अपील संदर्भ अथवा निगरानी हो सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के उपरान्त उपशमित माने जायेंगे। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत तद्नुसार इस अपील के उपशमन के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के उपरान्त यह अपील उपशमित मानी जाएगी, परन्तु प्रश्न यह है कि प्रथग अपील व मूल वाद की कार्यवाही उपशमित मानी जायेगी या नहीं। अपील एवं निगरानी मूल वाद से जनित होने के कारण मूल वाद का ही विस्तार होती है। तद्नुसार तार्किक रूप से अपील अथवा निगरानी के मूल वाद के विस्तार व निरन्तरता होने के दृष्टिगत द्वितीय अपील उपशमित होने के दृष्टिगत प्रथम अपील व मूल वाद की कार्यवाही भी उपशमित होगी। इस सम्बन्ध में उभयपक्षों द्वारा उद्वरित न्यायिक व्यवस्थायें इस स्थिति की पुष्टि करती हैं। इस न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या–45/2009–10 मोहकम सिंह बनाम सरकार में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त भी इस विधिक स्थिति की पुष्टि करती हैं। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बेकारू बनाम शिवमूर्ति आदि में पारित न्यायिक दृष्टान्त 2001(92) आर0डी0 422 भी अति स्पष्ट शब्दों में अपील एवं वाद के उपशमित होने की पुष्टि करती है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त आर0डी0 1967 पृष्ठ–261 से 262 एवं 2000 र0ल0ट0 229 भी इसकी पुष्टि करती हैं।

जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क कि धारा–4(2) की अधिसूचना की तिथि से पूर्व के निर्णय/आज्ञप्ति प्रभावी रहेंगे का प्रश्न है यह तर्क विधितः मान्य नहीं है। स्वंय उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था आर0डी0 1974 (FB) पृष्ठ 107 उदयभान सिंह बनाम राजस्व परिषद, उ0प्र0 व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त में स्पष्ट करती है कि मात्र संविधान के अनुच्छेद–226 के अन्तर्गत लम्बित रिट याचिका एवं उससे जनित विशेष अपील ही धारा–5(2)ए से अप्रभावित होगी। शेष वाद, अपील एवं निगरानी की कार्यवाहियाँ उपशमित हो जायेगी क्योंकि अपील अथवा निगरानी वाद की निरन्तरता (continuation) होती हैं। जहाँ तक उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था आर0डी0 2006(100) पृष्ठ–818 का प्रश्न है इसमें भी यह स्पष्ट किया है कि वाद पुनर्स्थापन सम्बन्धी आदेश के विरूद्व निगरानी उपशमित नहीं होगी। जहाँ तक उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था आर0डी0 2010(111) पृष्ठ 384 रामबली राय बनाम तृतीय अपर जिला जज व अन्य का प्रश्न है इस न्यायिक व्यवस्था में पूर्व से प्रचलित चकबन्दी प्रकियाओं से जनित प्रकरण के न उपशमित होने की व्यवस्था मा0 उच्च न्यायालय ने दी है। परन्तु यह स्पष्ट है कि जो प्रकरण लम्बित था वह चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत ही लम्बित था जिसे चकबन्दी की नई अधिसूचना के आधार पर उपशमित न होना माना गया। तदनुसार धारा–5(2) जोत चकबन्दी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान द्वितीय अपील, प्रथम अपील एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद का उपशमित होना विधि एवं न्यायसंगत है।

उपर्युक्त विवेचना के अनुसार वर्तमान अपील की कार्यवाही, प्रथम अपील व मूल वाद की कार्यवाहियाँ उपशमित होती हैं। वैसे भी न्यायिक आदेश से किसी पक्ष को अनुचित लाभ या अनुचित हानि की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायिक उक्तियां "न्याय के कार्य से किसी की हानि नही होती" (actus curiae neminem gravabit) तथा " विधिक कार्य से किसी की हानि नहीं होती" (actus legis nemini est damnosus) दर्शनीय है। तद्नुसार उपशमन का परिणाम यह होगा कि जैसे मूल वाद व उससे जनित कार्यवाहियाँ व्यवहार में लाई ही नहीं गई।

आदेश

वर्तमान द्वितीय अपील की कार्यवाही जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(2) के अन्तर्गत उपशमित की जाती है। तद्नुसार प्रथम अपील एवं मूल वाद की कार्यवाही भी उपशमित मानी जाएगी।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 02.05.2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।